

झारखंड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

स्वी० संख्या-7/यो0 बजट-40/2014 03/स्वी० व0प0, राँची, दि०-26/04/2017

प्रेषक,

ए०के०रस्तोगी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पो०-डोरण्डा,
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में झारखण्ड राज्य जैव विविधता पर्षद को अनुदान (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत कुल रू0 300.00 लाख (तीन करोड़ रुपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-113 दिनांक-27.02.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन वित्त विभागीय पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-2018 में कार्यान्वित की जाने वाली झारखण्ड राज्य जैव विविधता पर्षद को अनुदान योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत कुल रू0 300.00 लाख (तीन करोड़ रुपये) मात्र का उपबंध संसूचित है।

2. उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में "झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण को अनुदान" के अंतर्गत कुल रू0 300.00 लाख (तीन करोड़ रुपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

प्रस्तावित कार्य विवरणी	इकाई	विपत्र कोड	बजटीय उपबंध (लाख में)	स्वीकृत राशि (लाख में)
राज्य जैव विविधता पर्षद को अनुदान	79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) इकाई	19S240601796530679	300.00	300.00
कुल स्वीकृत राशि- (तीन करोड़) रुपये			300.00	300.00

3. स्वीकृत राशि बजट उपबंध के अंतर्गत है तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत राशि की निकासी मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्यप्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-53 राज्य जैव विविधता पर्षद को अनुदान विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान के अंतर्गत 79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) इकाई में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

26/4

4. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं सामन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

5. सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य जैव विविधता पर्षद द्वारा प्राप्त राशि का व्यय, लेखा-संधारण, अंकेक्षण, राशि का प्रत्यर्पण आदि वित्तीय प्रक्रियाओं का अनुपालन सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय मापदंड/निदेश के अनुसार किया जायेगा।

पर्षद को दी गई राशि / अनुदान राशि का अनुश्रवण एवं नियमानुसार समुचित कार्रवाई करने का दायित्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी-सह-मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का होगा।

6. इस राशि का व्यय राज्य जैव विविधता पर्षद के प्रशासी निकाय द्वारा राज्य जैव विविधता पर्षद की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप किया जाएगा। योजनाओं का क्रियान्वयन झारखण्ड राज्य जैव विविधता पर्षद से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जाएगा तथा अभिलेख हेतु एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय में समर्पित किया जाएगा।

7. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों के अनुसार की जाएगी तथा निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन नियमानुसार निविदा के आधार पर किया जायेगा।

8. प्रस्तावित कार्यों के लिए किसी भी अन्य श्रोत से करने के लिए राशि की मांग नहीं की जाएगी। यह जिम्मेवारी सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्राधिकरण को होगी।

9. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमंडल, राँची होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

10. कुल राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा तथा राशि पी०एल० खाता में संधारित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204 दिनांक-20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य जैव विविधता पर्षद के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उनके लिए वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

14. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

03/20/17
21/2017

la

26/4

15. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर एतद् संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जायेगी। राशि की नियंत्रिता महालेखाकार से प्राधिकृत पत्र प्राप्त कर की जायेगी।

16. स्वीकृत योजना के सफल कार्यान्वयन तथा ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को समर्पित करने का उत्तरदायित्व सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य जैव विविधता पर्षद पर होगा।

सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य जैव विविधता पर्षद द्वारा मासिक भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन-सह-उपयोगिता प्रमाण-पत्र वन एवं पर्यावरण विभाग तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराया जायेगा एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य जैव विविधता पर्षद को समर्पित की जायेगी।

17. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(ए०के०रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक -7/यो० बजट-40/2014 - 03/राँची व०प०/राँची, दिनांक-26/04/2017

प्रतिलिपि :- राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/ योजना -सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/ सूचना, प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड, राँची/ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ आंतरिक वित्त कोषांग एवं विभागीय बजट शाखा (पाँच प्रतियों में) तथा अवर सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के निमित्त) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए०के०रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक -7/यो० बजट-40/2014 - 03/राँची व०प०/राँची, दिनांक-26/04/2017

प्रतिलिपि :- प्रधान महालेखाकार, लेखा परीक्षा, झारखण्ड, राँची/ संबंधित उपायुक्त/ कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए०के०रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव